

जर्जर भवनों से संबंधित प्रस्ताव समय पर भेजें, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : जिला कलेक्टर

कोटा, (निसं)। अंतर-विभागीय समन्वय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि एसडीआरएफ के तहत जर्जर भवनों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विभागीय प्रस्ताव में कोई कमी पाई जाती है या जर्जर भवनों की सूचना अन्य माध्यम से प्राप्त होती है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों की मैपिंग की जाए ताकि जर्जर भवनों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक स्कूल को आधारभूत संरचना की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो समय-समय पर भवनों की सुरक्षा के मानकों के अनुसार समीक्षा करेगा।

विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस विभाग के जर्जर भवनों पर जल्द प्रस्ताव तैयार करने और कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में "संपर्क" पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निस्तारण को लेकर कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी परिववाद को अस्वीकार किया



कोटा जिला कलेक्टर ने अंतर विभागीय समन्वय एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश देते हुए अधिकारी से जबाब मांगा है।

जाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए और परिववादी को उपयुक्त मार्गदर्शन भी दिया जाए।

उन्होंने निगम, केडीए, आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग के सूचना सहायकों को अलग से प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए, ताकि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कलेक्टर ने नगर निगम द्वारा हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत कम पौधारोपण की जानकारी एप पर

अपलोड करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए अधिक प्रभावी क्रियाच्यवन की अपेक्षा जताई। एमपी और एमएलए फंड से स्वीकृत विकास कार्यों में देरी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से यह पूछा कि अब तक टेंडर क्यों नहीं हुए और आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी क्यों नहीं की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी

कार्यों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रगति बिंदुवार तैयार कर आगामी सोमवार तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

लंबित लैंड अलॉटमेंट मामलों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि पत्राचार मात्र पर्याप्त नहीं है। अधिकारी स्वयं जाकर समन्वय स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य धरातल पर तेजी से आगे बढ़े।

राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए कलेक्टर

■ अंतर विभागीय समन्वय एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश, हर अधिकारी से मांगा जबाब

पीयूष समारिया ने कहा कि निवेशकों को प्रशासनिक सहयोग दिया जाए और विभाग उनके साथ समन्वय बनाते हुए हैडहोल्डिंग की प्रभावी व्यवस्था करें। उन्होंने विभागों को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लोरशिप योजनाएं एवं बजट घोषणाएं प्राथमिकता पर रहें और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही अस्वीकार्य है।

बैठक में प्रशिक्ष आईएसएस आराधना चौहान, डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर अनिल सिंघल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, केडीए आयुक्त कुशल कोटारी सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी संस्थान द्वारा लहरिया उत्सव आयोजित किया गया है।

कोटा, (निसं)। कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा लहरिया उत्सव आयोजित किया गया। सावन के पूरे महीने में सभी महिलाओं में एक अलग ही उत्साह होता है और सभी अपने समाज और परिवार के साथ इस माह में आने वाले त्योहारों को लहरिया पहनकर मनाते हैं।

संस्थान के विद्यार्थियों नूर उल कम्मर, माही वर्मा, मो. रेहान, प्रभरानी कौर, नुरीन अंसारी, हरीप्रत कौर और रोशनी अंसारी ने डेनिम के साथ पिक कलर के लहरिया से वेस्टर्न कलेक्शन 'नारीत्व' थीम पर स्वयं तैयार किया क्वॉक पिक कलर प्यार और नारीत्व की पहचान है।

कलेक्शन संस्था के मॉडल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्था की निदेशक पुजा राजवंशी ने बताया कि संस्था युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने के लिए हमेशा फैशन के माध्यम से प्रयासरत रहती है और ये कलेक्शन आने वाले रक्षाबंधन पर्व के लिए उत्तम रहेगा।

सार-समाचार

नो प्लास्टिक बैग का संदेश दिया



कोटा, (निसं)। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के उपलक्ष्य में विज्ञान नगर स्थित कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी संस्था द्वारा "नो प्लास्टिक बैग" थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पेपर और जूट के बैग्स इस्तेमाल कर का मैसैज दिया गया। संस्था के विद्यार्थी नुरीन अंसारी, माही वर्मा, गुगुन डागर और नूर उल कम्मर ने प्लास्टिक बैग से फैशन ड्रेस बनाई और बड़ा पेपर बैग नो प्लास्टिक थीम पर तैयार किया जिसे संस्था के विद्यार्थियों द्वारा प्रेसेंट किया गया सस्स्या की निदेशक पुजा राजवंशी ने बताया कि फैशन के माध्यम से सभी को प्लास्टिक बैग्स से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया गया है क्योंकि प्लास्टिक बैग हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए खतरा बन गया है।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार बटनदार चाकू सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नान्ता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि शहर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी ने बताया कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक घीसा सिंह को मय जाता इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि पॉवर हाऊस के समीप एक व्यक्ति वारदात करने की फिराक में हथियार लेकर भाग रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबीर द्वारा बताया गये हथियार के आधार पर मौके पर मौजूद व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध हथियार बटनदार चाकू बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मौके पर आम्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए नान्ता निवासी पीयूष जेठी (20) को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि वही थाने के सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह को इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि इलाके में स्थित यूनिचन कार्यालय के पास बड़गांव रोड पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध हथियार चाकू बरामद किया। पुलिस टीम ने आम्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए मोहनलाल सुखाडिया आवासिय योजना निवासी समीर उर्फ गंजा (23) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

शहर में नेत्रदान लिया

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, शहरवासी अब आगे आकर स्वयं नेत्रदान अंगदान का संकल्प पत्र भरते हैं, साथ ही शोक के समय में, परिजनों की सहमति लेकर नेत्रदान का कार्य भी संपन्न करवाते हैं। इसी क्रम में कल, रविवार देर रात 11.00 बजे आईपी कॉलोनी, रामगंजमंडी निवासी मुकुट बिहारी खंडेलवाल की धर्मपत्नी चंदा देवी का आकस्मिक निधन हुआ। परिजन प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है, अतः बेटे लोकेश और अशोक खंडेलवाल ने माता के और हर्षित मनन के दादी के नेत्रदान का कार्य संपन्न करवाने के लिए शार्डन इंडिया फाउंडेशन की रामगंजमंडी शाखा के ज्योतिमित्र संजय विजावत को संपर्क किया। सूचना मिलित ही कोटा से कुलवंत गौड़ स्वयं नेत्र संकलन चाहिनी ज्योति रथ लेकर रामगंजमंडी के लिए रवाना हो गये। संजय विजावत दिनेश डवकार, बुजेश खंडेलवाल के सहयोग से रात 2.00 बजे परिवार के सभी सदस्यों के बीच में नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। ज्योति मित्र मोनू माहेश्वरी और लक्ष्मी ने बताया कि यह रामगंजमंडी का 66वां नेत्रदान है, नेत्रदान के समय मोनू सर्राफ, पुरुषोत्तम खत्री, भारत शाह, महावीर जैन भी मौजूद रहे। संजय विजावत ने बताया कि, धर्म-कर्म में आस्था रखने वाली चंदा देवी के नेत्रदान से दो दुष्टिहीनों को रोशनी मिलेगी और यह प्रेरणादायक संदेश समाज में पहुंचने से अन्य लोग भी नेत्रदान के लिए प्रेरित होंगे।

मतदाता साक्षरता की पाठशाला आयोजित

कोटा, (निसं)। जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृपपाल सिंह के निर्देशानुसार सोमवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादबाड़ी में सुबह मतदाता साक्षरता क्लब के तहत पाठशाला का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीति सक्सेना ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को मतदाता साक्षरता क्लब का गठन कर मतदाता साक्षरता क्लब के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी रविन्द्र श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों से अवगत करवाया गया। साथ ही मतदाता कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण एप की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने भावी मतदाताओं को सम्बन्धित जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के स्वीप प्रभारी मनोज मेरोठा व विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों का अर्द्धनग्न प्रदर्शन

कोटा, (निसं)। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा में सोमवार को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के निर्देशानुसार छात्रों ने कॉलेज की खस्ताहाल स्थिति, लाइब्रेरी की बदहाल अवस्था और छात्रसंघ चुनाव बहाली सहित अन्य समस्याओं को लेकर जोरदार अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व छात्रसंघ अध्यक्ष अर्पित जैन एवं छात्रसंघ महासचिव रजत कुमार द्वारा किया गया। प्रदर्शन के पश्चात छात्रों ने छात्रसंघ अध्यक्ष अर्पित जैन के नेतृत्व में आयुक्त के नाम एक ज्ञापन महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा, जिसमें कॉलेज से संबंधित गंभीर समस्याओं को विस्तार से रखा गया।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मुद्दे शामिल थे—महाविद्यालय की इमारत की जर्जर स्थिति व रख-रखाव की कमी, पुस्तकालय की अत्यंत खराब अवस्था व संसाधनों की कमी, छात्रसंघ चुनावों को शीघ्र बहाल किए जाने की मांग,

नागेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया

छबड़ा (निसं)। सावन माह के चौथे सोमवार को नागेश्वर मंदिर सेवा समिति तत्त्वाधान में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों ने गगनभेदी जयकारों के साथ पार्वती नदी के जल से नागेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया। शिवभक्त गुगोर गांव के समीप प्रवाहित हो रही पार्वती नदी के तट पर पहुंचे, यहां विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने अपने-अपने पात्रों में पार्वती नदी का पवित्र जल भरा एवं महाभारती के तत्परचात् भक्तों की पैदल-पैदल भव्य शोभायात्रा प्रारंभ हुई। जो कि गांव आंचोली, महेशपुरा, धरनावादा चौराहा, आजाद सर्किल, लोटा भैरू, अलीगंज बाजार, पुराना बाजार होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंची जहां पर कावड़ियों द्वारा अपने-अपने पात्रों में भरकर लाए पार्वती नदी के पवित्र जल से नागेश्वर



कोटा में एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया।

महाविद्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी, स्वच्छता, पेयजल व कक्षाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक कार्यों की अन्देखी, इस दौरान ज्ञापन सौंपने व प्रदर्शन में मुख्य रूप से सौरभ मोणा, यश राठौर, गीतांजलि, गौतम मोणा, अवनीश, केशव समेत कई

छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। छात्रों ने प्रशासन से मांग की कि अगर शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। छात्रों ने यह भी कहा कि राजकीय महाविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की

मोशन एजुकेशन देगा 5 करोड़ की स्कॉलरशिप और 50 लाख के रिवाड़

कोटा, (निसं)। अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है तो अब मौका है उसे उड़ान देने का। कोशिंग संस्था मोशन एजुकेशन ने अपने 'अर्जुन प्रोग्राम' के तहत देशभर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 6 से 10 तक के सभी और 11 और 12 (साइंस) के स्टूडेंट्स को 5 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप और 50 लाख रुपए के रिवाड़ दिए जाएंगे। खास बात ये है कि इसमें शामिल होने के लिए न कोई परीक्षा, न ही कोई फीस देनी पड़ेगी। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि यह स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाएगी, जो अकेडमिक्स, नेशनल-इंटरनेशनल ओलंपियाड या किसी भी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। इस पहल का मकसद है कि हर

टैलेंट को वह मंच दिया जाए, जिसकी उसे जरूरत है, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है। बच्चे, अभिभावक या स्कूल सीधे जाकर वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मोशन एजुकेशन के ड्रोणा-2 कैम्प में सोमवार को 'अर्जुन प्रोग्राम' के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर जेईई डिवीजन के हेड और ज्वाइंट डायरेक्टर रामरतन द्विवेदी, नीट डिवीजन के हेड अमित वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट दीपक जोशी, फिजिक्स के एचओडी चंद्रशेखर शर्मा और फाउंडेशन डिवीजन के अकेडमिक हेड मुकेश गौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि 'अर्जुन प्रोग्राम' बीते चार वर्षों से चल रहा है और अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल चुका है।

एक दर्जन ने अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के 20 नमूने लिए

कोटा, (निसं)। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गुड्टे तथा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशन और सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर के नेतृत्व में कोटा जिले में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने सोमवार को शहर में एक दर्जन से अधिक बेकरी, मिठाई होटल, मैस, रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉ नागर ने बताया कि टीम ने विज्ञान नगर स्थित दो बड़ी बेकरीयों में निरीक्षण किया। इस दौरान क्रीम रोल, ब्रेड, बन, टोस्ट, बिस्किट, खारी इत्यादि पर उत्पादन तिथि एवं यूज बाय डेट अंकित नहीं थी। दोनों प्रतिष्ठानों को उत्पादन व यूज बाय डेट अंकित करने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इम्प्यूमेंट नोटिस भी दिया जा रहा है। दोनों जगहों से टोस्ट, क्रीम रोल, सपन पपड़ी, बन, बिस्किट, केक व पेस्ट्री के 11 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए। टीम ने तलवंडी स्थित मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण कर



कोटा खाद्य सुरक्षा दल के द्वारा नमूने लिये गये।

साफ-सफाई के निर्देश प्रदान करते हुए मोटा मावा, काजू, कातली, धी एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए।

सभी प्रतिष्ठानों पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार जागरूकता अभियान भी चलाया गया तथा सभी विक्रेताओं को खाद्य सामग्री की घरेलू जांच के तरीकों से अवगत कराया। साथ

ही खाद्य सामग्री खरीदने, भंडारण व विक्रय सम्बंधित विभिन्न नियमों की जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिये गए सभी 20 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार व जिला कलेक्टर पीयूष समारिया द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार

रक्षा बंधन के त्योहार को देखते मिष्ठान भंडार, बेकरी, रेस्टोरेंट, मैस, डेयरी प्रोडक्ट्स विक्रेताओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा साथ ही मैस, होस्टल, रेस्टोरेंट के सघन निरीक्षण एवं नमूनीकरण का कार्य रक्षा बंधन के बाद भी जारी रहेगा। उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, सदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना व मौजीलाल कुम्भकार शामिल रहे।

साईबर ठगी हेतु बैंक खाता किराये पर देने वाला खाताधारक गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बैंक खाता किराये पर लेकर साईबर ठगी के मामले में साईबर टीम पुलिस ने कार्यवाही करते हुए साईबर ठगी हेतु बैंक खाता किराये पर देने वाले खाताधारक नीरज शर्मा को उत्तरप्रदेश के अगरा से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया। मामले में सामने आया कि आरोपी प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से बैंक खाता व मोबाईल सिम को किराये पर देता था। साईबर टीम ने मामले में पूर्व में 6 लाख की ठगी के दर्ज प्रकरण में शांति ठग ऋषि शर्मा को आगरा से गिरफ्तार किया था। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि 23 जून का परिव्रादी ने जवाहर नगर थाने में 6 लाख 10 हजार की साईबर ठगी का मामला दर्ज कराया। शहर एसपी ने बताया कि मामले में साईबर थाने के पुलिस निरीक्षक सतीश चन्द के नेतृत्व में गठित साईबर टीम ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से अनुसंधान एवं प्राप्त बैंक रिकॉर्ड के आधार पर कार्यवाही करते हुए साईबर ठगी के लिये बैंक खाता किराये पर देने वाले खाताधारक हेमराई मोड़ मधुवनगंज थाना ताजगंज जिला अगरा उत्तरप्रदेश निवासी नीरज शर्मा (23) को आगरा से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से एक मोबाईल भी बरामद हुआ है।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी नीरज शर्मा से पूछताछ के दौरान मामले में सामने आया कि आरोपी नीरज शर्मा स्वयं का बैंक खाता

■ आरोपी से एक मोबाइल बरामद किया

■ 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर देता था बैंक खाता

व मोबाईल सिम को प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से साईबर ठगी करने के लिये किराये पर देता था। आरोपी नीरज एटीएम कार्ड व पासबुक भी पूर्व में गिरफ्तार आरोपी ऋषि शर्मा को दी थी। मामले में सामने आया कि आरोपी के ने अधिक पैसो का लालच आने से डुप्लीकेट बैंक पासबुक निकलवा कर स्वयं बैंक जाकर 40 हजार रूपये निकाल लिये। आरोपी के बैंक खाते में हुए लेन-देन एवं अन्य आरोपियों के संपर्क के बारे में अनुसंधान जारी है। शहर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नीरज शर्मा व पूर्व में पकड़े गये आरोपी ऋषि शर्मा को न्यायालय में पेश किया। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी व साईबर ठगी की राशि बरामद करने के प्रयास जारी है।

NAME CHANGE
I, Yashpreet Singh Jagdev, S/o Kulvinder Singh Jagdev, residing at 67-A Talwandi Kota, declare that my name is wrongly mentioned as Yashpreet Singh Jagdev, and my father's name as Kulvinder S Jagdev in my 10th and 12th mark sheets. The correct names are Yashpreet Singh Jagdev and Kulvinder Singh Jagdev.

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			
क्रमांक:- 2336	न्याय हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	दिनांक:- 29.7.25	
नगर विकास न्यास कोटा की अजय आडवाजा नगर पुनर्वास योजना के भूखंड/आवास संख्या 56 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 02.04.2002 को श्री बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल को किया गया था। आवंटन श्री बाबुलाल की मृत्यु दिनांक 26.09.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटन के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, रितीली डीड, वारिसनाम शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।			
अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरूरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई रेटारज हो तो विधिगत जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मर्यादा गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड/आवास संख्या 56 योजना अजय आडवाजा नगर पुनर्वास का नाम हस्तान्तरण श्री हुकमचन्द शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।			
उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3507

दिनांक:-23.7.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" को उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीन रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 में 31, 2012 के अध्याप 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक उपयोग के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. आपेदक/तिरुदद सं.	व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री ललित कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आंचोली हाल सुकाम तह. छबड़ा जिला (बारां)	353/1, 41/109, 35/109 25/109 8/109	नेशनल पार्क कालोनी	70	30x40 =1200 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशायी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:- न.पा.छ./2025/3510

दिनांक:- 23.7.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" को उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीन रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 में 31, 2012 के अध्याप 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक उपयोग के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. आपेदक/तिरुदद सं.	व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री मेघराज आनन्द बाबुलाल एवं श्रीमती रानी बाई पत्नी श्री मेघराज जाति लुहार निवासी सरस्वती कालोनी तह. छबड़ा जिला (बारां)	168/1	सरस्वती कालोनी छबड़ा	108	20x40=800 वर्गफुट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशायी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा